न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 572/2018

प्रार्थी

1. राजाराम पुत्र स्वर्गीय श्री चेनाराम, जाति घांची
2. टमाराम पुत्र स्वर्गीय श्री चेनाराम, जाति घांची
3. प्रवीण पुत्र स्वर्गीय श्री चेनाराम, जाति घांची
4. बुद्धाराम पुत्र स्वर्गीय श्री चेनाराम, जाति घांची
5. देवी पत्नि स्वर्गीय श्री चेनाराम, जाति घांची

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. मोहनलाल पुत्र श्री खीमा, उम्र बालिग, कौम घांची, निवासी गुन्दोज तहसील व जिला पाली (राज.)

उपस्थितिः—

1. श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी।

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:आदेशः— दिनांक 31.10.2019

1. प्रार्थीगण ने निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम गुन्दोज I के खसरा नंबर 201 भूमि है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 201 की भूमि में से आम रास्ते पर राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं होने से उक्त भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम गुन्दोज I के खसरा नंबर 205, रकबा 17.03 बीघा, की दक्षिण माठ के सहारे सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित चौड़ रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी ने प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा बना कर प्रार्थना—पत्र के साथ में प्रस्तुत किया है।

2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलबी किया गया तथा आवेदित भूमि में संबन्ध में तहसीलदार, पाली से जांच रिपोर्ट तलब की गई।

3. प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र में आवेदित भूमि की जांच जरिये पत्रांक/कोर्ट / 18/890 दिनांक 23—07—18 तहसीलदार, पाली से चाही गई। तहसीलदार, पाली ने जरिये पत्रांक/राजस्व/18/1357 दिनांक 20—09—18 के द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया। तहसीलदार, पाली ने जांच रिपोर्ट में दर्शित किया है कि खातेदार राजाराम टमाराम प्रवीण बुद्धाराम पि. चेना देवी बेवा चेना की खातेदारी भूमि मे जाने हेतु खसरा नम्बर 205 रकबा 17.

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

03 बीघा खातेदार मोहनलाल पुत्र खीमा कौम घांची की खातेदारी से रास्ते की मांग। पूर्व मे खातेदार राजाराम पि. चेना वगैरह खसरा नम्बर 205 मे से आते जाते है वर्तमान मे बंद करने के कारण रास्ते की मांग की गई है। मौके पर खसरा नम्बर 205 मे से ही आवेदक द्वारा रास्ते की मांग की गई एवं अन्य रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। नजदीकी रास्ता यही है। आने जाने हेतु रास्ता की मांग की गई जो सही है। दिया जाना उचित है। खातेदारी भूमि को काश्त होती है। कृषि प्रयोजनार्थ ही रास्ता का उपयोग किया जाने ही आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा 20 फीट रास्ते की मांग की गई है। मौके पर 54X3 गट्टटा अनुसार 0.08 बीघा भूमि रास्ते हेतु मांग की गई है। डी.एल.सी. दर 3,44,403 अक्षरे तीन लाख चवालीस हजार चार सौ तीन बीघा है जो दुगुनी राशि से भूमि का मूल्य 2,75,5,22 अक्षरे दो लाख पचहतर हजार पांच सौ बाईस रूपये है तथा कोई मौके पर पक्का निर्माण कोई नहीं है।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विरूद्ध अप्रार्थी श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत कानून एवं विधि के प्रावधानों के मंशा के खिलाफ पेश किया होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिज के है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा गुन्दोज चक I के खसरा नम्बर 201 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा मे आने जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा गुन्दोज चक I के खसरा नम्बर 205 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा भूमि के दक्षिणी मार्ग के सहारे सहारे किसी प्रकार का कोई रास्ता न था, न रहा एवं न आज भी नजदीकी पुराना रास्ता है, बल्कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 201 मे आने जाने हेतु पुराना कदीमी निकटतम चालू रास्ता मौजा गुन्दोज के खसरा नम्बर 202 की दक्षिणी मार्ग के सहारे सहारे था, रहा एवं आज भी मौके पर चालू हालत में विद्यमान है, जिसमें से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मे पूर्वजों के समय से बतौर रास्ता के आने जाने हेतू रास्ते के उपयोग मे आ रहा है उसके बावजूद प्रार्थीगण द्वारा हाजा प्रकरण में गलत एवं झूठ अर्ज मौके की स्थिति के विपरीत करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खिलाफ अप्रार्थी पेश किया है जो काबिल निरस्त के है।

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा भूमि के तीनो तरफ यानि उक्त आराजी के उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा मे प्रार्थीगण स्वयं द्वारा पुराने बड़े बड़े धोर लगाकर मेडबन्दी की हुई है जो अर्से दराज से आज भी मौके पर मौजूद है जो प्रार्थीगण स्वयं के द्वारा धोरे लगाकर मेड़बन्दी की हुई है तथा उक्त तीनो दिशा उत्तर–दक्षिण–पश्चिम में प्रार्थीगण का उनकी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु अपने पूर्वजो के समय से किसी कदर का कोई रास्ता न था, न रहा एवं न आज भी है बल्कि मात्र प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 201 में आने जाने हेतु पूरब दिशा में स्थित खसरा नम्बर 202 मे नजदीकी रास्ता मौके पर आज भी चालू हालत में स्थित है एवं प्रार्थीगण उसी रास्ते से

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

होकर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 201 मे आने जाने हेतु उपयोग मे लेते रहे है जिस पर कानून एवं मौके की सही स्थिति के विपरीत गलत एवं झूठ कथन करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रार्थीगण की ओर से विरूद्ध अप्रार्थी में गलत,झूठ एवं खिलाफ कानून अर्ज करते हुए मुकदमा पेश किया होने से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा काबिल खारिज के है।

प्रार्थीगण का मुख्य धन्धा कृषि कार्य नहीं होकर व्यापार है जिस व्यापार से प्रार्थीगण खाने कमाने व परिवार का पालन पोषण के उद्वेश्य से राजस्थान के बाहर सूरत मे लम्बे अर्से से व्यापार करते आ रहे है। जिससे प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण द्वारा बताई जाने वाली अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा मौजा गुन्दोज तहसील पाली में प्रार्थीगण स्वयं के द्वारा लम्बे समय से किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। बल्कि प्रार्थीगण द्वारा बताई जाने वाली अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 201 में प्रार्थीगण के अलावा दीगर व्यक्ति चुन्नीलाल पुत्र गोबरजी जाति घांची निवासी गुन्दोज का कब्जा है जिस तथाकथित चुन्नीलाल को हाजा प्रकरण में फरीक मुकदमा के पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिस प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 201 में काबिज तथाकथित चुन्नीलाल जो कि हाजा प्रकरण मे आवश्यक पक्षकार है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 201 मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 205 की बजय खसरा नम्बर 202 मे से होकर उपयोग लेता रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त चुन्नीलाल के पक्षकार के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानून की मंशा के खिलाफ पेश किया गया है जो कानूनन् काबिल निरस्त के है।

श्रीमान् न्यायालय द्वारा तलब भू.अभिलेख निरिक्षण रिपोर्ट बिना पक्षकारान् की उपस्थिति में बिना अप्रार्थी को सूचित किये प्रार्थीगण वा प्रार्थीगण की मिलावट से मौके की सही स्थिति के विपरीत गलत रिपोर्ट पेश की गई है। जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु मौके पर खसरा नम्बर 202 मे रास्ता विद्यमान होते हुए जो प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने हेतु नजदीकी कदीमी अपने पूर्वजों के समय से रास्ता मौक पर होते हुए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 205 में रास्ते नहीं होते हुए दूरी के रास्ते बाबत् गलत एवं झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिस आर. आई. रिपोर्ट मुताबिक अप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से प्रार्थीगण का मौके पर कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में फरीकेन मुकदमा की उपस्थिति में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु कदीमी मौके पर उपलब्ध रास्ता खसरा नम्बर 202 मे से होकर विद्यमान होने से उक्त खसरा नम्बर 202 की मौका रिपोर्ट हाजा प्रकरण के निस्तारण से पूर्व तलब फरमाई जाना आवश्यक एवं लाजमी है एवं पूर्म में प्राप्त आर.आई. रिपोर्ट को रेकर्ड से हटाये जाने बाबत् आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक वो लाजमी है जिससे भी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिज के है। प्रार्थना पत्र

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण कानून की मंशा के खिलाफ एवं आवश्यक पक्षकार के अभाव मे एवं मौके पर नजदीकी खसरा नम्बर 202 मे से रास्ता होने के बावजूद अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 205 मे रास्ता नहीं होते हुए खिलाफ कानून प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है। जिसे मय खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

5. जिस पर पुनः जांच जरिये पत्रांक/कोर्ट /19/1232 दिनांक 23–09–19 तहसीलदार, पाली से चाही गई। तहसीलदार, पाली ने जरिये पत्रांक/राजस्व/19/3086 दिनांक 14–14–19 के द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया। तहसीलदार, पाली ने जांच रिपोर्ट में दर्शित किया है कि भू.अ. नि. गुन्दोज से रिपोर्ट ली गई प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया राजस्व रिकार्ड एवं मौका अनुसार ग्राम गुन्दोज के खसरा नम्बर 201 मे आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 205 मे से दिया जाना उचित है खसरा नम्बर 205 मे से रास्ता निकटतम है एवं खसरा नम्बर 202 मे से रास्ता देने पर दूर होगा एवं खसरा नम्बर 201 व 205 के मध्य माट पर धौरा लगा हुआ है जो 2–3 फिट उचाई मे है। वर्तमान मे आने जाने हेतु दोनो तरफ से खातेदार खसरा नम्बर 201 मे आना जाना करते है।

6. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्रीमान तहसीलदारा, पाली ने अपनी दुसरे जांच प्रतिवेदन मे भी रास्ता खसरा नम्बर 205 मे से दिया जाना उचित बताया गया है। जब किसी प्रकरण मे दस्तावेजी रिपोर्ट उपलब्ध है तो बाकी चीजे नही देखी जायेगी। खसरा नंबर 202 के आगे जो रास्ता है वह बंद है और वर्तमान मे उपयोग भी नहीं आ रहा है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत कानून एवं विधि के प्रावधानों के मंशा के खिलाफ पेश किया होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिज के है। खसरा नम्बर 201 मे आने जाने हेतू पहले से विद्यमान रास्ता उपलब्ध है। श्रीमान तहसीलदार, पाली की जो दुसरी बार जांच रिपोर्ट आई हुई है वो भी गलत है।जाचं मे नहीं बताया कि खसरा नम्बर 201 मे आने जाने हेतु नजदीक रास्ता कौन सा है। सिर्फ यही लिखा कि खसरा नम्बर 202 दूर है पर इसकी दूरी नहीं लिखी। सिर्फ 202 की तरफ से आते थे। पुराना रास्ता होते हुए नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। नक्शा ट्रेश को नापने से यह सिद्ध होता है कि खसरा नम्बर 202 पास है। इस जमीन पर चुन्नीलाल का कब्जा है पर उसको प्रकरण मे पक्षकार नहीं बनाया है तथा खसरा नम्बर 202 मे पहले से रास्ता उपलब्ध है। मेरी यह बात मौका रिपोर्ट से सिद्ध होती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष और पत्रावली पर उपलब्ध कराये गए अभिलेख पर मनन करने बाद तथा पाया की अतः तहसीलदार, पाली की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर जांच रिपोर्ट

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा को इस आदेश का भाग बनाया जाकर आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा गुन्दोज I के खसरा नंबर 205, रकबा 17.03 बीघा, की दक्षिण माठ के सहारे सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता जांच रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शित अनुरूप भूमि आवेदक के खातेदारी भूमि तक जाने हेतु रास्ता के रूप में दिया जाता है। Rajasthan Tenancy (Government) (Amendment) Rule, 2012 के नियम 70 के तहत आदेश जारी होने की तारीख को प्रचलित डी.एल.सी. की दर, जिसे कृषि असिंचित भूमि ग्राम गुन्दोज I वर्तमान डी.एल.सी. दर 344403/– प्रति हैक्टर होने से 0.07 बिस्वा अर्थात दुगनी राशि 2,75,5,22/– अक्षरे दो लाख पचहतर हजार पांच सौ बाईस रूपयें प्रार्थी से तहसीलदार, पाली द्वारा राजकोष में जमा करवाने के पश्चात् तहसीलदार, पाली उक्त प्रस्तावित रास्ता, जिसे जांच रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत किया गया है, का राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में अंकन करवाया जायेगा। उक्त सार्वजनिक रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जायेगा न कि केवल प्रार्थी के अकेले के उपयोग हेतु। प्रार्थी को उक्त रास्ता का उपयोग करने से किसी भी व्यक्ति को रोकने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस आदेश एवं नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, पाली को माफिक आदेश पालना करने हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner